राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 268/2012/जयपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत्त–तृतीय जयपुर। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अनिल ऐजेन्सीज,
धूला हाऊस, बापू बाजार, जयपुर। ....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री अमर सिंह –सदस्य

उपस्थित : :
श्री वैभव कासलीवाल,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री यशस्वी शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14/05/2014

निर्णय

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 255/अपील्स–III/2010–11/एच में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.07.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्त–द्वितीय, राजस्थान, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा पाया गया कि व्यवहारी सिवाईयों पर 4 प्रतिशत से कर वसूल कर जमा करा रहा है जबकि सिवाईयों पर 12.5 प्रतिशत से कर देयता बनती है। जिसके परिणामस्वरूप कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 में धारा 25, 61, एवं 55 के तहत दिनांक 30.03.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए अन्तर कर 8.5 प्रतिशत से अतिरिक्त कर रूपये 17,613/– ब्याज रूपये 5,283/– व धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 35,226 आरोपित करते हुए कुल मांग 58,122/– रूपये कायम की गई। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिस पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 04.07.2011 से अन्तर कर व ब्याज को यथावत रखते हुए धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त कर दिया उक्त आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह अपील शास्ति के बिन्दु पर पेश की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री वैभव कासलीवाल ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी के द्वारा धारा 61 के तहत शास्ति को अपास्त करने में भूल की गई है। उनके अनुसार व्यवसायी ने जानबूझकर करवंचना के उद्देश्य से कम दर से कर चुकाया है। अतः ऐसी स्थिति में करवंचना की मंशा साबित करने की आवश्यकता नहीं है तथा कम कर अदा करने के अपराध में धारा 61 के तहत

लगातार.....2

शास्ति देय है। इन्होंने अपने कथन के समर्थन में **सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सविता केमिकल्स लिमिटेड, सेल्स टैक्स टूडे, वोल्यूम 6, पार्ट 4 जून 30, 2000 पेज 157 एवं मैसर्स आर.एस. जोशी व अन्य बनाम अजीत मिल्स लिमिटेड एण्ड ब्रदर्स, एआईआर 1977 एससी 2279** के निर्णयों का हवाला देते हुए कथन किया कि वित्तीय मामलों में कर चोरी यदि साबित होती है तो व्यवसायी की कर चोरी की नियत साबित करने की आवश्यकता नहीं है यदि कर चोरी साबित होती है तो शास्ति स्वतः ही देय है। उन्होंने आगे कथन किया कि इस प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय **श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, 23 वीएसटी 249** इसमें लागम नहीं होता है। अतः आरोपित शास्ति को बहाल रखा जाए तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त किया जाये।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि समस्त तथ्या लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा विभाग में भी प्रस्तुत रिटर्नस में सबकुछ सत्य घोषित किया हुआ है कर दर क्या लगेगी इस सन्दर्भ में मत भिन्नता है इसलिए प्रत्यर्थी व्यवहारी की कर चोरी की कोई मंशा नहीं थी जिसके कारण ही अपीलीय अधिकारी के द्वारा शास्ति को निरस्त किया गया है अपने कथन के समर्थन में **श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, 23 वीएसटी 249, गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 व The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013** के निर्णयों के सन्दर्भ में शास्ति देय नहीं बनती है अतः विभाग की अपील निरस्त की जावे।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी के द्वारा सिवईयों पर 4 प्रतिशत के स्थान पर 12.5 प्रतिशत कर एवं ब्याज कायम रखा है तथा शास्ति को अपास्त किया गया है समस्त लेन देन लेखा पुस्तकों में दर्ज है तथा विभाग में प्रस्तुत रिटर्नस में सभी तथ्य घोषित किये है किसी प्रकार की कर चोरी की मंशा प्रत्यर्थी की नहीं है केवल मत भिन्नता के कारण अन्तर कर देय कायम रखा गया है अतः ऐसी स्थिति में शास्ति उद्धरित **श्री कृष्णा इलेक्ट्रीकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू, 23 वीएसटी 249, गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2007) 2 एस.सी.सी 269 व The High Court of Judicature for Rajasthan Bench at Jaipur S.B. Sales Tax Revision Petition No. 400/2008 Assistant Commercial Taxes Officer, Ward-II, Circle-B, Alwar V/s M/s REBI Casting (Pvt.) Ltd. Bhiwadi & Anr. Date of Order 01.08.2013** न्यायिक निर्णयों के संदर्भ में देय नहीं होती है अतः अपीलीय अधिकारी के द्वारा उचित रूप से शास्ति को अपास्त किया गया है जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

14-5-14

(अमर सिंह)
सदस्य